संख्या-60/सीपी 668/84-2-2014-सीपी 16/2003

प्रेषक,

बी0एम0 मीना,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 10 जुलाई, 2014

विषय उपभोक्ता कल्याण कोष से स्वैच्छिक संगठनों को उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम हेतु अनुदान दिये जाने के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों की जांच कराकर आख्या एवं संस्तुति शासन को उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपभोक्ता जागरूकता को और अधिक बढावा देने के उद्देश्य से कार्यालय ज्ञाप संख्या-भा0स0 38/29-8-2005-सीपी 26/97, दिनांक 18.03.2005 द्वारा राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष का गठन किया गया है। इस कोष से समन्वय अभिकरण@ स्वैच्छिक संगठनों को अधिकतम रूपये दो लाख की धनराशि (रूपये एक-एक लाख की दो किस्तों में) वित्तीय सहायता/अनुदान के रूप में दिये जाने की व्यवस्था है। इस क्रम में शासन के पत्र संख्या सीपी 1004/29-8-2006-सीपी 16/2003, दिनांक 13 अक्टूबर, 2006 द्वारा निम्नवत जनपद स्तरीय जांच कमेटी का गठन करते हुए उक्त कमेटी के माध्यम से आवेदन पत्रों की जांच कराकर उसकी रिपोर्ट पर अपनी आख्या एवं संस्तुति उपलब्ध कराने के निर्देश समस्त जिलाधिकारियों को प्रेषित किया गया है :-

(1)	जिलाधिकारी द्वारा नामित कोई अपर जिलाधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी	.....	अध्यक्ष
(2)	जिला विद्यालय निरीक्षक	.....	सदस्य
(3)	जिला कोषाधिकारी	.....	सदस्य
(4)	जिला पूर्ति अधिकारी	.....	सदस्य सचिव
(5)	जिला सूचना अधिकारी	.....	सदस्य
(6)	जिला फोरम का अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित कोई सदस्य	.....	विशेष आमंत्रित सदस्य
(7)	जिलाधिकारी द्वारा किसी अन्य अधिकारी को नामित किया जाता है	.....	सदस्य

2 उक्त के अनुक्रम में शासनादेश संख्या-सीपी 776/84-2-2008-सीपी 16/2003, दिनांक 17 सितम्बर, 2008 द्वारा कतिपय नवीन मार्गदर्शक सिद्धान्त प्रसारित करते हुए यह व्यवस्था की गयी है कि जिलाधिकारीगण समन्वय अभिकरण@स्वैच्छिक संगठनों आदि को वित्तीय सहायता@अनुदान दिये जाने अथवा न दिये जाने के संबंध में अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध करायेगें। पत्र संख्या-सीपी 653/84-2-2009-सीपी 34/2006, दिनांक

http://shasanadesh.up.nic.in

30 नवम्बर, 2009 द्वारा जिलाधिकारीगण से यह अपेक्षा की गयी है कि प्राप्त प्रस्तावों पर समयबद्ध ढंग से जांच आदि की कार्यवाही पूर्ण कराकर आख्या/संस्तुति उपलब्ध करायेगें।

3 इस सम्बन्ध में अब तक हुई कार्यवाही की समीक्षा करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि शासन द्वारा अब तक कुल 21 जनपदों (अम्बेडकरनगर, संतकबीरनगर, सुल्तानपुर, शाहजहाँपुर, रायबरेली, देवरिया, लखनऊ, कौशाम्बी, बस्ती, मीरजापुर, बाराबंकी, आजमगढ, कानपुर नगर, औरैया, मुरादाबाद, सीतापुर, वाराणसी, कन्नौज, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी एवं उन्नाव) में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम हेतु स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान उक्त जनपदों के जिलाधिकारी की संस्तुति के दृष्टिगत स्वीकृत किया गया है। शेष अन्य जनपदों से या तो प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए अथवा जो प्राप्त हो रहे हैं वे मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार नहीं हैं, जिसके कारण अवशेष जनपदों में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम के लिए उपभोक्ता कल्याण कोष से कोई अनुदान स्वीकृत नहीं हुआ और इसलिए उपभोक्ता जागरूकता के प्रचार-प्रसार का कार्य भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है।

4 अतः उपर्युक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपभोक्ता कल्याण कोष से उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित वित्तीय सहायता@अनुदान दिये जाने के संबंध में स्वैच्छिक संगठनों@समन्वय अभिकरणों के जो भी प्रस्ताव जिलाधिकारी कार्यालय में प्राप्त होते हैं, उनके संबंध में उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 13.10.2006 एवं दिनांक 17.09.2008 द्वारा निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के आलोक में शासनादेश दिनांक 30.11.2009 द्वारा निर्धारित समयसीमा के अंतर्गत जांच आदि की कार्यवाही पूर्ण कराकर जनपदीय कमेटी की बैठक के कार्यवृत्त, मूल प्रस्ताव, अपनी स्पष्ट आख्या एवं संस्तुति शासन को प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें। आख्या में कृपया इस तथ्य का भी उल्लेख किया जाय कि संस्था ब्लैकलिस्टेड@प्रतिबंधित तो नही है। यह भी उल्लेखनीय है कि शासन में स्वैच्छिक संगठनों से सीधे प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

भवदीय,

(बी0एम0 मीना)
प्रमुख सचिव।

<u>पृष्ठांकन संख्या-60/सीपी 668(1)/84-2-2014-सीपी 16/2003, तद्-दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।

(2) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, उ0प्र0, 7 वाला कदर रोड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि वे कृपया इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम से सुनिश्चित करायें।

(3) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in